

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश
(भूतल 'डी' विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush.mp@mp.gov.in

Office(0755) 2763044
Fax - (0755) 2760225

क्रमांक/एफ.104/4-आयुष शिक्षा/2022/2513

भोपाल, दिनांक 25/4/2022

आयुष स्नातक काउंसलिंग-2021

चतुर्थ चरण (मापअप-II) हेतु

::सामान्य दिशा निर्देश::

1. आयुष स्नातक काउंसलिंग-2021 का चतुर्थ चरण (मापअप-II) दिनांक 22.04.2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 27.04.2022 को पूर्ण होगा।
2. दिनांक 22.04.2022 को आयुष स्नातक काउंसलिंग-2021 के चतुर्थ चरण में सम्मिलित होने वाले महाविद्यालयों की रिक्त सीटों की स्थिति तथा स्नातक प्रवेश नियम अनुसार मापअप-II चरण हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रदर्शित की जा चुकी है।
3. काउंसलिंग का यह चरण रीयल टाईम रिपोर्टिंग पर आधारित है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा जिन महाविद्यालयों को च्वाइस किया गया है, उन महाविद्यालयों में अभ्यर्थी की मेरिट का स्थान क्या है, दिनांक 25.04.2022 को एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावेगा।
4. दिनांक 26.04.2022 को प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तथा दिनांक 27.04.2022 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अभ्यर्थी को महाविद्यालय में संचालनालय आयुष द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी तथा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर, दिनांक एवं समय अंकित करना होगा।
5. दिनांक 27.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों की रीयल टाईम मेरिट सूची पर्यवेक्षक द्वारा तैयार की जाकर दोपहर 01:00 बजे तक अनिवार्य रूप से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।
6. यदि कोई अभ्यर्थी दिनांक 27.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे के पश्चात रिपोर्ट करता है तो मेरिट सूची में उसका नाम रीयल टाईम रिपोर्टिंग मेरिट में निचले क्रम पर जोड़ा जावेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को 12:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरांत ही सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
7. निर्धारित समयावधि में महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। निर्धारित समयावधि उपरांत रिपोर्ट करने पर रीयल टाईम मेरिट सूची में उसे निचले क्रम पर रखा जावेगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. दिनांक 27.04.2022 को दोपहर 2:00 बजे से मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी को प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जावेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में उसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. प्रवेश के समय महाविद्यालय की निर्धारित फीस का भुगतान अभ्यर्थी को नियम अनुसार करना होगा।
10. प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से होगी जिसके लिए अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
11. अभ्यर्थी एक से अधिक महाविद्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उक्त महाविद्यालयों की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर सकता किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश किसी एक महाविद्यालय में एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ही प्रदान किया जावेगा।
12. शासकीय/स्वशासी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

अगले पृष्ठ 2 पर....

पर्यवेक्षक हेतु दिशा निर्देश

1. पर्यवेक्षक दिनांक 26.04.2022 को प्रातः 10:00 बजे संबंधित महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
2. पर्यवेक्षक सर्वप्रथम संबंधित महाविद्यालय के जी.टू.जी. लॉग-इन आई.डी. से महाविद्यालय को च्वाईस करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करेंगे।
3. उक्त सूची में जितने अभ्यर्थी हरे रंग की पंक्तियों में प्रदर्शित होंगे, वे सभी अभ्यर्थी मेरिट क्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। लाल रंग की पंक्तियों में प्रदर्शित अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. पर्यवेक्षक दिनांक 26.04.2022 को प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तथा दिनांक 27.04.2022 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति अपने समक्ष दर्ज करायेंगे तथा उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक एवं समय अंकित करना होगा।
5. उपस्थिति दर्ज कराने से पूर्व पर्यवेक्षक अभ्यर्थी का कोई आई.डी. कार्ड देखकर अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करेंगे।
6. पर्यवेक्षक दिनांक 27.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों की रियल टाईम मेरिट सूची तैयार करेंगे तथा दोपहर 01:00 बजे तक अनिवार्य रूप से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।
7. पर्यवेक्षक उक्त मेरिट सूची एवं उपस्थिति पत्रक को स्केन कर संचालनालय आयुष के ई.मेल jdayush.mp.gov.in पर दिनांक 27.04.2022 को दोपहर 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
8. यदि कोई अभ्यर्थी दिनांक 27.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे के पश्चात रिपोर्ट करता है तो मेरिट सूची में उसका नाम सबसे निचले क्रम पर अंकित करेंगे तथा 12:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरांत ही सीट रिक्त रहने पर निर्धारित समयावधि उपरांत रिपोर्टिड अभ्यर्थियों को प्रवेश देंगे।
9. पर्यवेक्षक दिनांक 27.04.2022 को दोपहर 2:00 बजे से मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
10. पर्यवेक्षक महाविद्यालय की निर्धारित वर्षवार फीस का विवरण (ब्रैक-अप के साथ) नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित करायेंगे।
11. महाविद्यालय का अकाउंट नंबर जिसमें फीस प्राप्त की जानी है, नोटिस बोर्ड पर तथा अकाउंट सेक्शन के बाहर चस्पा करायेंगे।
12. पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी को महाविद्यालय की नियमानुसार निर्धारित फीस राशि के अतिरिक्त अन्य भुगतान हेतु बाध्य न किया जावे।
13. समस्त पर्यवेक्षक प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया स्नातक प्रवेश नियम, 2021 के अनुसार संपादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संचालनालय आयुष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
14. किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर डा. एम. फारूक, उपसंचालक, संचालनालय आयुष से दूरभाष क्रमांक 7828550208, डा. अरविंद कुमार पटेल, औषधालय अधीक्षक, संचालनालय आयुष से दूरभाष क्रमांक 7974758826 तथा डा. उमेश शुक्ला, नोडल अधिकारी, 9425373046 तथा किसी भी प्रकार तकनीकी सहायता के लिए एम.पी. ऑनलाईन की आयुष हेल्पलाईन क्रमांक 0755-6720206 पर संपर्क कर सकते हैं।
15. उपरोक्त निर्देशों का पालन न किये जाने अथवा प्रवेश प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में पर्यवेक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डा. ई. रमेश कुमार)

आयुक्त

संचालनालय आयुष, म.प्र.